ग्राम पंचायत सुलपुर जबोथ, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.22 से 31.03.23 तक

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सुलपुर जबोथ, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.23 के लेखों का अंकेक्षण कार्य इस विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री रवि कुमार	01-04-22 से 31-03-23

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमती निशु	01-04-22 से 31-03-23

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत सुलपुर जबोथ के लेखों अवधि 1-04-2022 से 31-03-2023 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में अन्तर बारे	0.52

2	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	35.64
3	6(क)	गृह कर न वसूलने बारे	1.30
4	6(ख)	विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा ना करवाना	0.04
5	10(क)	royality की कटौती न करके वसूली न करना	0.47
6	10(ख)	स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके वसूली न करना	0.05

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्रवाई की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गयी, जिन पैरों पर की गई कार्रवाई संतोषजनक पाई गई उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों पर की गई कार्रवाई उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है।

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत सुलपुर जबोथ, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.23 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 17-02-2024 से 01-03-2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2022-23	02/23	05/22

अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु

हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा । विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा ।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत सुलपुर जबोथ, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.23 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000/- आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./ एस.ए.डी./2024-113 दिनाँक 01-03-2024 द्वारा अनुरोध किया गया है ।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत सुलपुर जबोथ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.23 के लेखों की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्वः स्रोतः- ग्राम पंचायत सुलपुर जबोथ के अवधि 01.04.22 से 31.03.23 तक की स्वः स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है :-

वर्ष	**अथ शेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2022-23	1464737	536244	2000981	510190	1490791

(ii) अनुदान :- ग्राम पंचायत सुलपुर जबोथ के अवधि 01.04.22 से 31.03.23 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में संलग्न है :-

वर्ष	**अथ शेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2022-23	2511138.26	410679	2921817.26	1582521.73	1339295.53

(iii) 15 वाँ वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत सुलपुर जबोथ के अवधि 01.04.22 से 31.03.23 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (घ)** में संलग्न है :-

वर्ष	**अथ शेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2022-23	1939912	2019190	3959102	1733991.55	2225110.45

बैंक का नाम	खाता संख्या	प्रयोजन	बैंक शेष (₹)
H.P State cooperative bank, Bhambla	32710100003	Nidhi	1521055
H.P State cooperative bank, Bhambla	32710104323	14th FC	484357.39
H.P State cooperative bank, Bhambla	32710101361	General head	846863
H.P State cooperative bank, Bhambla	32710104849	15th FC	2243651.45
H.P gramin bank,paunta	87320100053665	IAY	10734.14
H.P gramin bank,Bhambla	87580100025165	SBM	0
		Total	**5106660.98**

बैंक समाधान विवरणी :-	
स्व: स्रोत :-	
दिनाँक 31.03.23 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	1490791
अनुदान :-	
दिनाँक 31.03.23 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	3564405.98
स्व स्रोत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में अंत शेष	**5055196.98**
दिनाँक 31.03.23 को बैंक खातों में अन्तिम शेष	5106660.98
अन्तर की राशि	**51464**

(iv) एमजी नरेगा

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	0	19166773.7	19166773.7	19166773.7	0

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹0.52 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनाँक 31.03.23 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में **₹51464** की राशि का अन्तर पाया गया । अत: मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत कराया जाये ।

5. (क) पंचायत के स्वः स्रोतों की आय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करना :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत सूलपुर जुबोथ के लेखों की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु 6 बैंक खाते खोले गये थे और उपरोक्त नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था । इस बारे सचिव, ग्राम पंचायत सूलपुर जबोथ ने खाता "क" व खाता "ख" अलग अलग से संचालित करने को कहा । अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्रवाई नियमानुसार करते हुये अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ख) अनुदान ₹35.64 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव, ग्राम पंचायत सूलपुर जबोथ द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनाँक 31.03.23 तक अनुदान ₹35,64,405.98 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा संख्या 4(ii),4(iii)** में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः वर्णित अनुपयुक्त

अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

ग्राम पंचायत सूलपुर जबोथ द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2022** से **31.03.2023** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. (क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹1.30 लाख की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (ङ)** अनुसार **₹129260** की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नही है । अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा न करवाना राशि ₹0.04 लाख

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. एस.जे.ई.-ए-ए-(3)-1/2015 दिनाँक 04.10.2016 (हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम ,2016) के बिंदु 3 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण फीस, विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में नकद द्वारा या मनीआर्डर के माध्यम से जमा की जाएगी और ऐसी फीस की प्राप्ति पर विवाह रजिस्ट्रार प्रारूप 4 में रसीद जारी करेगा । सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा पत्र सं. PCH-HA(1)8/2013-marriage-8017-8106 दिनाँक 28.10.2016 द्वारा समस्त जिला पंचायत अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के उक्त आदेशों की अनुपलना हेतु दिशानिर्देश जारी किये गए थे।

ग्राम पंचायत सूलपुर जबोथ, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मंडी(हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जांच एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत को वर्ष 2022-23 के दौरान ₹3200/- विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त हुए जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. संख्या	**वर्ष**	**प्राप्त शुल्क**
1.	2022-23	3200
	कुल जोड़	**3200**

उक्त धनराशि को पंचायत द्वारा विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में जमा करवाया जाना चाहिए परन्तु उक्त राशि लेखा परीक्षा अवधि (03/2023) तक पंचायत बैंक खाते में जमा थी तथा राशि को सम्बंधित विभाग को प्रदान नहीं किया गया था, जोकि उपरोक्त नियमो की स्पष्ट अवहेलना थी । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-104 दिनाँक 26-02-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सूलपुर जबोथ के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि विवाह पंजीकरण की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

7 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना ।

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) प्रारम्भ की गई थी । इस योजना के अंतगर्त विभिन्न प्रार्थना पत्र है जिनमे पंचायत की दैनिक कार्रवाई जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है । ग्राम पंचायत सूलपुर जबोथ, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मंडी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया । जांच के दौरान पाया

गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल फर्नीचर फिटिंग ही दर्ज की गयी तथा उनमे भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नहीं है। इसके अलावा अन्य सम्पतियाँ जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, वॉटर कूलर इत्यादि का इन्द्राज ही नहीं किया गया है। इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमे दर्ज नहीं किया गया था तथा पंचायत द्वारा केवल 29 कार्यो को ही दर्ज किया गया उनकी भी लागत मूल्य एवं निर्माण अथवा प्राप्ति की तारीख दर्ज नहीं है। ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2023) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory)में दर्ज नहीं किया था। पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अंतगर्त दी गई प्रार्थना पत्र में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा इस प्रार्थना पत्र के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा। पंचायत द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उल्लंघन है जोकि गम्भीर अनियमितता है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-105 दिनाँक 28.02.24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सूलपुर जबोथ के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशा-निर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

8. वितीय वर्ष 2022-23 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों में निर्धारित सीमा से मजदूरी पर राशि ₹3.57 लाख कम व सामान पर राशि ₹3.57 लाख ज्यादा व्यय करना |

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय किया जाएगा। अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत सामान/निर्माण सामग्री पर व्यय योग्य राशि ₹7.66 लाख की जगह ₹11.23 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹ 03.57 लाख ज्यादा व्यय व मजदूरी पर व्यय योग्य राशि ₹11.50 लाख की जगह

₹7.93 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹3.57 लाख कम किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	कुल व्यय	मजदूरी पर व्यय	मजदूरी पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 60%)	सामान पर व्यय	सामान पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 40%)
	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)
2022-23	19.16	7.93	11.5	11.23	7.66
कुल आय	**19.16**	**7.93**	**11.5**	**11.23**	**7.66**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-109 दिनाँक 29.02.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत सूलपुर जबोथ के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निर्धारित सीमा से अधिक किये गए व्यय को निर्धारित सीमा के अंतर्गत ही व्यय किया जाएगा। अतः वितीय वर्ष 2022-23 के दौरान महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सामान पर निर्धारित सीमा से राशि ₹3.57 ज्यादा व मजदूरी पर निर्धारित सीमा से राशि ₹3.57 लाख कम व्यय करने हेतु सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृत प्राप्त करके अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्लास्टिक कचरे का प्रबंन्धन न करना

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशा निर्देशों के अनुसार, प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन किया जाना आवश्यक है। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर समग्र कार्य योजना तैयार किया जाना आवश्यक है जिसके अंतर्गत प्लास्टिक कचरे का प्रथक्करण, संग्रहण, धुलाई, भण्डारण और पुर्नचक्रण योग्य भाग को पंजीकृत एजेंसियों को भेजना। प्लास्टिक कचरे को खुले में जलाने पर रोक लगाना तथा सभी हित धारकों में उनकी जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाना भी शामिल है।

कार्य योजना में ग्राम स्टार पर प्लास्टिक कचरे का भंडारण, संग्रह एवं एकत्रण केन्द्रों की स्थापना तथा इन केन्द्रों से प्लास्टिक कचरे को ब्लॉक या जिला स्तर पर ले जाना जहाँ प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्र स्थापित किये जायेंगे। जिले के स्क्रैप व्यापारियों की सूची बनाई जाएगी और इसे इस योजना में शामिल किया जायेगा। कटे हुए छोटे टुकड़ों तथा बेल्ड

प्लास्टिक कचरे का सड़क निर्माण में उपयोग किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों के माध्यम से कचरा संग्रहण किया जाएगा।

ग्राम पंचायत सूलपुर जबोथ, विकासखण्ड गोपालपुर जिला मंडी (हि०प्र०) में लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि इस ग्राम पंचायत में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न स्तरों पर अर्थात घरेलू स्तर, संस्थान, स्वस्थ देखभाल केंद्र, वाणिज्यक क्षेत्र और बाजारों में सृजीत कचरे (प्रकार और मात्रा) का कोई आकलन नहीं किया गया था।

इस स्थिति में प्लास्टिक कचरे का ग्राम पंचायत क्षेत्र में न तो संग्रहण किया जा रहा है और न ही प्लास्टिक को खुले में जलाने पर कोई रोक लगाने के लिए कोई कदम उठाया गया था | ग्राम पंचायत के पास जिले मंडी के स्क्रैप व्यापारियों की कोई सूची भी नहीं थी तथा सभी हितधारको में उनकी जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया था | ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह है लेकिन उनकी मदद भी किसी प्रकार से प्लास्टिक कचरे के संग्रहण के लिए नहीं ली गई थी।

इसके अतिरिक्त खण्ड विकास कार्यालय मंडी द्वारा वर्ष 2023 में एक लाख रुपये ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए अनुमोदित किये गए थे जोकि व्यय किया जा चूका है। अतः प्लास्टिक कचरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले नागरिको द्वारा खुले में फेंका जा रहा है या जलाया जा रहा है जो कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्लास्टिक कचरे के प्रबन्धन से सम्बन्ध दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है तथा उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के पालन में ग्राम पंचायत की विफलता दर्शाता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-106 दिनाँक 28.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत दारपा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतगर्त प्लास्टिक कचरे का प्रबंन्धन नहीं करवाया जा रहा है जिसे अब आपके दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमानुसार करवाया जाएगा व लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाएगा।

10. (क). आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹0.47 लाख का अधिक भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनाँक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री जैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को

रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रॉयल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को ₹47046.72 का अधिक भुगतान किया गया था। जिसका विवरण **परिशिष्ट(च)** में संलग्न है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:- डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-108 दिनाँक 29.02.24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सूलपुर जबोथ के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि रॉयल्टी के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि रॉयल्टी की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹0.05 लाख की वसूली न करना

सचिव ग्राम पंचायत सूलपुर जबोथ द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-2023 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹ 5155.82 की स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी। आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्राबधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था। जिसका विवरण **परिशिष्ट (छ) में सलग्न किया गया है।** उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याःडी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-107 दिनाँक 29.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सूलपुर जबोथ के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः स्त्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) मनरेगा निधि से संबन्धित माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने बारे ।

ग्राम पंचायत सूलपुर जबोथ के अवधि 01-04-22 से 31-03-2023 तक के अंकेक्षण के दौरान मनरेगा निधि के व्यय वाउचरो की जांच में पाया गया कि मनरेगा निधि से चयनित माह 05/22 में मजदूरी मस्ट्रोलों के भुगतान का भुगतान किया गया था । जिसका मूल्यांकन माप पुस्तिका में किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था । अत : माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा उपरोक्त माप पुस्तिका को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन से प्राप्त बिलो पर ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान किया जाना ।

ग्राम पंचायत सूलपुर जबोथ विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी (हि० प्र०) की अवधि 4/22 से 3/23 के अंकेक्षण के दौरान 15वां वित्त आयोग के व्यय वाउचरों की जांच पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन से सीमेंट की खरीद पर प्राप्त बिलों के एवज में ₹1583.34 की राशि का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित व अनुचित प्रक्रिया है जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या	कार्य का नाम	सीमेंट बैग की मात्रा	भुगतान योग्य राशि	वास्तविक भुगतान	अन्तर
1	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन	cs060-22-0268227 दिनाँक 14.03.23	c/o pucca path well to bihdu	58	58 @ 350.27 = 20315.66	20646	330.34
2	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन	cs060-22-0206069 दिनाँक 22.12.22	c/o check dam jal nalla	24	24 @ 350.27 = 8406	8602	196
3	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन	cs060-22-0268233 दिनाँक 14.03.23	c/o link road p/w jal to jagar nath house	73	73 @ 350.27 = 25570	25807	237

4	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन	cs060-22-0268237 दिनाँक 14.03.23	c/o pucca path danga baba kamlahiya mandir toward banmagoh	39	39 @ 350.27 = 13661	13764	103
5	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन	cs060-23-0338790 दिनाँक 21-06-23	c/o pucca path dhanota sadak to jal bavdi	50	50 @ 344.09 = 17204	17514	310
6	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन	cs060-23-0378002 दिनाँक 22-08-23	c/o check dam dhanota jaboth khad near anti dev house	30	30 @ 344.09 = 10323	10508	185
7	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन	cs060-23-0377995 दिनाँक 22-08-23	c/o renevation bavdi dhawada bahi	25	25 @ 344.09 = 8602	8757	155
8	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन	cs060-23-0474230 दिनाँक 30-12-23	c/o bavdi thodu village jaboth	25	25 @ 347.59 = 8690	8757	67
	कुल योग						**1583.34**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः संख्याःडी.के./एम.ए.एन.डी.आई./ एस.ए.डी./2024-1 दिनाँक 01.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सूलपुर जुबोथ के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन को किए गए भुगतान के सम्बन्ध में अधिक भुगतान की या तो वसूली कर दी जाएगी अन्यथा अधिक मूल्य के बराबर की राशि से सीमेंट बैग खरीद कर उपरोक्त राशि को समायोजित कर दिया जाएगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि अधिक भुगतान की गयी राशि का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली उचित स्रोत से करके संबन्धित निधि में जमा करने के पश्चात अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

11. (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार

करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख).विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	--	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	--	15(1)
5	वर्गीकृत सार	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
9	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
12	बिल रजिस्टर	13	48
13	सहायता अनुदान रजिस्टर, हि0प्र0 पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

12 **प्रत्यक्ष सत्यापन:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। इस बारे में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में भी आपत्ति दर्शाई गयी थी परन्तु पंचायत द्वारा इस पर कोई कार्यवाई नहीं की गयी थी । परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13. **लघु आपति विवरणिका:-**यह अलग से जारी नहीं की गई है।

14. **निष्कर्ष:-**लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 07.6.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं0 –0177–2620046

को0/50 10 JUN 2024

2545–2549

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(11) 31/2017 खण्ड–1 दिनॉक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्यवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत सुलपुर जबोथ, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्यवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

10 JUN 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 07.06.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं0 –0177–2620046

को0/50

परिशिष्ट-"क" पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णित पैरो का सार

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2017

क्रम संख्या	पैरा संख्या	विवरण
1	पैरा-4.1	अनिर्णीत
2	पैरा-4.2	अनिर्णीत
3	पैरा-5	अनिर्णीत
4	पैरा-6	अनिर्णीत
5	पैरा-7	अनिर्णीत
6	पैरा-8	अनिर्णीत
7	पैरा-9	अनिर्णीत
8	पैरा-10	अनिर्णीत
9	पैरा-11	अनिर्णीत
10	पैरा-12	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 03/2022

क्रम संख्या	पैरा संख्या	विवरण	
1	पैरा-3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क ₹6400/- की राशि को ड्राफ्ट संख्या 282373 दिनाँक 22.02.23 के दृष्टिगत पैरे का समायोजन किया गया।
2	पैरा-4.1	पुनः प्रारूपित	
3	पैरा-5(क)	अनिर्णीत	
4	पैरा-5(ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा-6(क)	पुनः प्रारूपित	

6	पैरा-6(ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा-6(ग)	निर्णीत	गृह कर से कम वसूल की गयी राशि को रसीद संख्या 86059 दिनाँक 08.06.23 द्वारा वसूल की जा चुकी है, जिसके दृष्टिगत पैरे का समायोजन किया गया।
8	पैरा-7(क)	अनिर्णीत	
9	पैरा-7(ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा-7(ग)	अनिर्णीत	
11	पैरा-7(घ)	अनिर्णीत	
12	पैरा-7(ङ)	अनिर्णीत	
13	पैरा-8(क)	निर्णीत	पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय के रूप में अधिक भुगतान की गयी राशि को रसीद संख्या 86061-86063 दिनाँक 08.06.23 द्वारा वसूल व रसीद सख्या 86078 से 86088 तक दिनाँक 29.02.24 द्वारा वसूल कर ली जा चुकी है, जिसके दृष्टिगत पैरे का समायोजन किया गया।
14	पैरा-8(ख)	निर्णीत	मस्ट्रोल(mustroll) मजदूरी के अधिक भुगतान की गयी राशि को रसीद संख्या 86060 दिनाँक 08.06.23 द्वारा वसूल कर ली जा चुकी है, जिसके दृष्टिगत पैरे का समायोजन किया गया।
16	पैरा-9(क)	अनिर्णीत	
17	पैरा-9(ख)	अनिर्णीत	
19	पैरा-10	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष (उप पैरों सहित)	29
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	10
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे (उप पैरों सहित)	4
अवधि 01.04.14 से 31.03.2023 तक के अनिर्णीत पैरों का (उप पैरों सहित) अन्तशेष	35

परिशिष्ट-(ख)
पैरा संख्या - 4(i)

+ 5th State

Financial position of own source of Gram sulpur jaboth					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	1464737	536244	2000981	510190	1490791

परिशिष्ट -(ब)
पैरा संख्या - 4(ii)

Financial position of grants including 14 th FCof Gram sulpur jaboth					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	2511138.26	410679	2921817.26	1582521.73	1339295.53

सचिव

परिशिष्ट -(घ)
पैरा संख्या — 4(iii)

Financial position of 15 th FCof Gram sulpur jaboth

Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	1939912	2019190	3959102	1733991.55	2225110.45

परिशिष्ट – (ङ)

पैरा संख्या – 6(क)

Gram Panchayat Sulpur Jaboth

House Tax Statement As on 31/03/2023

Period	O.B.	No of Household	Rate of Rrequired Tax	Required Tax	Total House Tax	Recived	Balacnce
2022-2023	78060/-	1080	50/-	54000/-	132060/-	2800/-	129260/-

सचिव
ग्राम पंचायत सुलपुर जबोठ
विकास खण्ड रीवा...
जिला ...

परिशिष्ट - (च)
पैरा संख्या - 10(क)

Detail of Royalty

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा प्रति मीट्रिक टन	रॉयल्टी प्रति मीट्रिक टन	राशि
	manrega								
1	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्द्वाड़ा	002/31.03.22	रेत	5448	4.00	1.62	6.48	80	518.40
2	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्द्वाड़ा	002/31.03.22	बजरी	10650	7.82	1.52	11.89	80	950.91
3	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्द्वाड़ा	003/31.03.22	रेत	5788.5	4.25	1.62	6.89	80	550.80
4	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्द्वाड़ा	003/31.03.22	बजरी	11577	8.50	1.52	12.92	80	1033.60
5	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्द्वाड़ा	004/31.03.22	रेत	7082	5.20	1.62	8.42	80	673.92
6	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्द्वाड़ा	004/31.03.22	बजरी	14164.8	10.40	1.52	15.81	80	1264.64
7	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्द्वाड़ा	005/31.03.22	रेत	11577	8.50	1.62	13.77	80	1101.60
8	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्द्वाड़ा	005/31.03.22	बजरी	23154	17.00	1.52	25.84	80	2067.20
9	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्द्वाड़ा	006/31.03.22	रेत	23835	17.50	1.62	28.35	80	2268.00
10	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्द्वाड़ा	006/31.03.22	बजरी	44946	33.00	1.52	50.16	80	4012.80
11	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्द्वाड़ा	007/31.03.22	रेत	12939	9.50	1.62	15.39	80	1231.20
12	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्द्वाड़ा	007/31.03.22	बजरी	25878	19.00	1.52	28.88	80	2310.40
13	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्द्वाड़ा	008/31.03.22	रेत	18387	13.50	1.62	21.87	80	1749.60
14	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्द्वाड़ा	008/31.03.22	बजरी	36774	27.00	1.52	41.04	80	3283.20
15	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्द्वाड़ा	009/31.03.22	रेत	41922	30.78	1.62	49.86	80	3989.09
16	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्द्वाड़ा	009/31.03.22	बजरी	83899.2	61.60	1.52	93.63	80	7490.56
17	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्द्वाड़ा	010/31.03.22	रेत	19680	14.45	1.62	23.41	80	1872.72
18	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्द्वाड़ा	010/31.03.22	बजरी	39402	28.93	1.52	43.97	80	3517.89
19	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्द्वाड़ा	011/31.03.22	रेत	26150.4	19.20	1.62	31.10	80	2488.32
19	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्द्वाड़ा	011/31.03.22	बजरी	52328.04	38.42	1.52	58.40	80	4671.87
	कुल योग								47046.72

परिशिष्ठ -(द२)
पैरा संख्या — 10(स)

(31)

Detail of TDS है:-

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या / दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	कटौती की दर	राशि
	मनरेगा					
1	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्दाड़ा	002/31.03.22	रेत	5448	1.00%	54.48
2	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्दाड़ा	002/31.03.22	बजरी	10650	1.00%	106.50
3	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्दाड़ा	003/31.03.22	रेत	5788.5	1.00%	57.89
4	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्दाड़ा	003/31.03.22	बजरी	11577	1.00%	115.77
5	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्दाड़ा	004/31.03.22	रेत	7082	1.00%	70.82
6	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्दाड़ा	004/31.03.22	बजरी	14164.8	1.00%	141.65
7	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्दाड़ा	005/31.03.22	रेत	11577	1.00%	115.77
8	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्दाड़ा	005/31.03.22	बजरी	23154	1.00%	231.54
9	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्दाड़ा	006/31.03.22	रेत	23835	1.00%	238.35
10	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्दाड़ा	006/31.03.22	बजरी	44946	1.00%	449.46
11	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्दाड़ा	007/31.03.22	रेत	12939	1.00%	129.39
12	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्दाड़ा	007/31.03.22	बजरी	25878	1.00%	258.78
13	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्दाड़ा	008/31.03.22	रेत	18387	1.00%	183.87
14	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्दाड़ा	008/31.03.22	बजरी	36774	1.00%	367.74
15	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्दाड़ा	009/31.03.22	रेत	41922	1.00%	419.22
16	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्दाड़ा	009/31.03.22	बजरी	83899.2	1.00%	838.99
17	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्दाड़ा	010/31.03.22	रेत	19680	1.00%	196.80
18	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्दाड़ा	010/31.03.22	बजरी	39402	1.00%	394.02
19	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्दाड़ा	011/31.03.22	रेत	26150.4	1.00%	261.50
20	एम/एस आकाश दीप सरकारी ठेकेदार व सप्लाइर,सुलपुर डाकघर भांवला तहसील बल्दाड़ा	011/31.03.22	बजरी	52328.04	1.00%	523.28
						5155.82